न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/323

धापुबाई पत्नी फौरूलाल जाति मीणा निवासी लुहारपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान

–अपीलांट

बनाम

1. नन्दकंवर पत्नी कालूलाल जाति मीणा
2. नूरा बाई पत्नी मिश्रीलाल जाति मीणा
3. हजारी बाई पत्नी गोपाल जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम लुहारपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी (राज०)

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्ते बहसः– श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 21.01.2026

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 23/2025 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम लुहारपुरा पटवार मण्डल मोतीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 23 पुराना 24 के अनुसार खसरा संख्या 309 रकबा 0.0971 हेक्टेयर, खसरा संख्या 310 रकबा 0.1214 हेक्टेयर, खसरा संख्या 311 रकबा 0.0728 हेक्टेयर, खसरा संख्या 312 रकबा 0.0890 हेक्टेयर, खसरा संख्या 313 रकबा 0.1294 हेक्टेयर, खसरा संख्या 314 रकबा 0.1375 हेक्टेयर, खसरा संख्या 315 रकबा 0.1618 हेक्टेयर, खसरा सख्या 316 रकबा 0.0971

हेक्टेयर, खसरा संख्या 317 रकबा 0.0971 हेक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 1.0032 हेक्टेयर भूमि स्थित है। ग्राम लुहारपुरा पटवार मण्डल मोतीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 26 पुराना 27 के अनुसार खसरा संख्या 302 रकबा 0.0162 हेक्टेयर, खसरा संख्या 303 रकबा 0.2589 हेक्टेयर, खसरा संख्या 304 रकबा 0.1052 हेक्टेयर, खसरा संख्या 305 रकबा 0.2265 कुल किता 4 रकबा 0.6068 हेक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रार्थिया के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य व कब्जे काश्त की भूमि है तथा वर्तमान समय बुवाई का है तथा उक्त भूमि पर जाने का एक मात्र रास्ता पौराणिक बावड़ी पर आने वाले सार्वजनिक रास्ते के बाद प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित खसरा संख्या, 302, 303, 304, 305 होता हुआ प्रार्थिया के रास्ता ही प्रार्थिया की भूमि खातेदारी अधिकारी की भूमि में पहुंचता है पर जाने का रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थिया, पुश्तैनीरूप में करती चली आ रही है जिसको अप्रार्थीगण ताकत के बल पर बन्द करना चाहते हैं। अगर अप्रार्थीगण के प्रार्थिया के खेत पर जाने के उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थिया की भूमि पड़त रहने की पूरी संभावना पैदा हो गई है जिससे प्रार्थिया को भारी आर्थिक नुकसान की संभावना बन गई है। प्रार्थिया के खाते की भूमि पर पहुंचने के उक्त रास्ते को नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से 'क ख' मार्क के रूप में दर्शाया है, जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। यह है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया के नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाये गये "क ख" मार्क रास्ते को जबरन ताकत के बल पर बन्द कर दिया जिसका उल्हाना प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण को दिया तो अप्रार्थीगण लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गए और कहने लगे कि यहां तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है हम तुम्हें उक्त रास्ते से नहीं निकलने देंगे। मौके पर रास्ता बना हुआ है। यही प्रार्थना पत्र का कारण है। यह कि प्रार्थिया के पुश्तैनी रास्ते को बन्द करने का अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई हक आधिकार प्राप्त नहीं है साथ ही प्रार्थिया की उक्त भूमि पर जाने का उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थिया को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में होकर निकले हुये 20 फीट चौड़ा रास्ता उत्तर से दक्षिण सम्पूर्ण लम्बाई को जिस नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से "क ख" मार्क से दर्शाया गया है को रास्ता घोषित किया जावे एवं उक्त रास्ते का अंकन राजस्व नक्शे व समस्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर पर प्रार्थिया को रास्ता दिलवाया जावे साथ ही अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जाये कि वे प्रार्थिया को मिलने वाले रास्ते में किसी प्रकार से अवरूद्ध नहीं करें तथा प्रार्थिया के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उपस्थित करे और न ऐसा कार्य किसी अन्य से करावे। प्रार्थिया को मिलने वाले उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के खातेदारान को नियमानुसार कीमत अदा करने को तैयार है।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.11.2022 के द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में

आने जाने हेतु रास्ता अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 303, 302, 304, 305 में से कायम किए जाने का निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.11.2022 के विरूद्ध अपीलांट की ओर से न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई जो न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 2023/164 पर दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2024 को अपील संख्या 2023/164 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए निर्णय पारित किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2025 प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2025 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2025 विधिक संचिको में सिद्धि प्राप्त तथ्यों एवं स्थापित कानून के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–अ राजस्थान टीनेन्सी एक्ट को आराजी खसरा नम्बर 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 की भूमि को शामलाती खाते की भूमि होने के आधार पर तथा बिना विभाजन रास्ता दिया जाना न्यायोचित व विधि सम्मत नही होना मानकर खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया है कि अपीलाण्ट के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर वाके ग्राम लुहारपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी मे स्थित है। उक्त भूमि के अन्य सहखातेदार द्वारा अपीलाण्ट द्वारा चाहे गये रास्ते के संबध में कभी कोई आपत्ति नहीं की

गई है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निर्णय जैरे अपील पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि प्रार्थी अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की आराजी ग्राम लुहारपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी मे खाता संख्या 23 के अनुसार खसरा नम्बर 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 कुल किता 9 कुल रकबा 1.0032 है0 भूमि स्थित है जिस पर आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता पुरानी बावडी पर आने जाने के सार्वजनिक रास्ते के बाद खसरा नम्बर 302, 303, 304, 305 होता हुआ अपीलाण्ट के संयुक्त खातेदारी की उपर वर्णित आराजी मे पहुंचता है। उक्त रास्ते का अपीलाण्ट बिना किसी व्यवधान के वर्षों से पीढी दर पीढी उपयोग करता चला आ रहा है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैरे अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि प्रार्थी अपीलांट को अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 वाके गाम लुहारपुरा पहुंचने के लिये आराजी खसरा नम्बर 302, 303, 304, 305 पर पहुंचने का रास्ता प्राप्त है जिसके सबंध में पूर्व में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय पारित किया गया है जिसकी अप्रसन्नता से रेस्पो कम 1 द्वारा माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को उक्त रेस्पो कम 1 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (सरकारी) नियम 1955 के 68 से 70 के प्रकाश मे नवीन निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित करते हुये नवीन निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो के विपरीत गैरकाननी रूप से निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियमो का उल्लघंन कर निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। न्याय का सिद्धान्त है कि यदि खातेदार के पास अपनी कृषि भूमि मे आने जाने का रास्ता उपलब्ध नही हो तो खातेदार को अपनी भूमि पर आने जाने का रास्ता उपलब्ध करवाये जाने का कानूनी प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित था कि अपीलांट के पास अपने संयुक्त खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिये कोई रिकोर्डेड रास्ता मौजूद नही है उसके बावजूद भी एंव उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2025 निरस्त किये जाने एंव अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.ए स्वीकार किये जाने तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी हो अपीलांट को प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया।

प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में स्वयं की खातेदारी की खसरा संख्या 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 कुल किता 9 रकबा 1. 0032 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 302, 303, 304 व 305 में से कायम किया जाकर उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.07.2025 में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीया अपीलांट द्वारा जिस खसरा संख्या 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 व 317 की भूमि में आने जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, उक्त भूमि शामलाती खाते की भूमि है जिसका विभाजन नहीं हुआ है, अतः बिना विभाजन रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। धारा 251(क) इस प्रकार है– "अन्य खातेदारी की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहॉ–(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिये किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिये अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है– और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसी अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे।" अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत कोई भी अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत तक पंहुचने के किए धारा 251(क) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट के खाते की भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि होने का कारण अंकित करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का जो आदेश अपने निर्णय दिनांक 31.07.2025 में अंकित किया है वह त्रुटिपूर्ण है। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है तथा अधीनस्थ न्यायालय को हस्तगत प्रकरण में विधिवत रूप से सुनवाई करके प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करने में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। न्यायालय हाजा द्वारा हस्तगत प्रकरण में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 17. 05.2024 में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 के प्रकाश में नवीन निर्णय पारित किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 17.05.2024 में अंकित निर्देशों की पालना करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम रूप से निस्तारण किया जाना

आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2024 में अंकित निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 31.07.2025 पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 23/2025 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 के प्रकाश में नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.02.2026 को स्वयं उपस्थित रहे।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/1/26

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा